| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 13/5/23 | पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में उप पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता अन्य पक्षकार मय अधिवक्ता दिनांक 21/5/23 को अप न्यायालय में हाजिर पत्रावली की प्रस्त पर हस्ताक्षर किये। अनावेदक की एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया बाद उतारिक कुरैशात डिक्री किया जावे। पत्र विचार किया पत्रावली पर उपलब्ध कुरैशात का अवलोकन किया व सहमति से वादी के पक्ष अंतिम तौर पर डिक्री किया जाता है। पत्रावली बाद फैसला दाखिल दफ्तर हो। |
| | उपखण्ड अधिकारी<br>लालसोट जिला दौसा (राज०) |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :–14/2020

रज्जू दिनांक 21–01–2020

पीठासीन अधिकारी

श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

सोसायटी ऑफ कैथोलिक डाईसिस ऑफ जयपुर घाटगेट जयपुर जरिये अध्यक्ष ओसवाल्ड लेविस पुत्र श्री एक्सावीयर लेविस निवासी बिशप हाउस घाटगेट, आगरा रोड़ जयपुर राज0

(वादी)

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र परसादीलाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी सैनिक नगर, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर राजस्थान
2. लल्लू पुत्र घनश्याम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला जयपुर
3. जितेन्द्र पुत्र जगदीश नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी गांव असरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

(प्रतिवादीगण)

## वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 13–05–2023

उपस्थित :– वादी की ओर से श्री अशोक शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से श्री प्रेमप्रकाश चौधरी एडवोकेट

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम आराजी खसरा नं0 96 रकवा 04 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि स्थित ग्रम भैरूवास पटवार हल्का टोडा ठेकला एवम आराजी खसरा नं0 01 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि स्थित ग्राम टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा पटवार हल्का लालपुरा तहसील लालसोट की कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार दर्ज होने के कारण उक्त वादी एवम् प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि के सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। आराजी खसरा नं0 96 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि स्थित ग्रम भैरूवास पटवार हल्का टोडा ठेकला एवम आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

नं0 01 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि स्थित ग्राम टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा पटवार हल्का लालपुरा तहसील लालसोट कुल रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के अलावा तत्कालीन खातेदार विनोद एवम् जगदीश से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की है तथा उक्त भूमि को क्रय करने के पश्चात सम्पूर्ण भूमि पर सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाकर उस पर तारबंदी कराकर सुरक्षित कर रखा है इस प्रकार उक्त आराजी मे वादी का हिस्सा 13 बीघा 02 बिस्वा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। तथा दोनो ही खसरा नम्बर की कृषि भूमि एक साथ लगी होने के कारण दोनो के विभाजन बाबत एक ही वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त आराजी मे पक्षकारान वादी का आराजी खसरा नं0 96 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम भैरूवास पटवार हल्का टोडाठेकला में से वादी का हिस्सा 87/88 एवं आराजी खसरा नं0 1 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा पटवार हल्का लालपुरा तहसील लालसोट मे 175/412 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का हिस्सा है। आराजी वादग्रस्त का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कराने कई मर्तबा निवेदन किया जिसके लिए प्रतिवादी संख 1 लगायत 3 ने तो मना नही किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 हामसास विश्वास देकर समय टालते रहे व दिनांक 05–01–2020 को स्पष्ट रूप से मना कर दिया। आराजी वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 96 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम भैरूवास पटवार हल्का टोडाठेकला में से वादी का हिस्सा 87/88 एवं आराजी खसरा नं0 1 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा पटवार हल्का लालपुरा तहसील लालसोट मे 175/412 हिस्सा का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार है बिना विभाजन हुये वादी का हिस्से का विकास रूका हुआ है इस कारण वादी आराजी वादग्रस्त का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से आराजी खसरा नं0 96 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम भैरूवास पटवार हल्का टोडाठेकला में से वादी का हिस्सा 87/88 एवं आराजी खसरा नं0 1 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा पटवार हल्का लालपुरा तहसील लालसोट मे 175/412 हिस्सा के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार दखल देने व दिलाने एवं उपयोग उपभोग करने मे रूकावट बाधा करने एवं आराजी वादग्रस्त का बिना विभाजन हुये रहन बैय व अन्य किसी भी प्रकार हस्तांतरण करने का अधिकारी नही है। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित कराने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की एकतरफा कार्यवाही की गई तथा वादीगण का वाद पत्र दिनांक 10—12—2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार लालसोट से कुर्रेजात प्राप्त हुये जो शामिल मिशल किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश चौधरी ने प्रार्थना पत्र धारा 9 नियम 7/13 सपठित धारा 151 जा0 दी0 पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाकर प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया गया तथा पक्षकारान के मध्य आपस मे राजीनामा होने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश कर कुर्रेजात अनुसार दावा डिक्री करने पर अनापत्ति का पेश किया जो स्वीकार किया जाकर प्रकरण अन्तिम तौर पर डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का व राजीनामा का अवलोकन किया गया तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात का भी अवलोकन किया जिससे वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात स्वीकार किये जाने योग्य है वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तिम रूप से नियमानुसार डिक्री किया जाता है :—

| क्रम संख्या | खातेदार का नाम | खसरा नं0 | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ओमप्रकाश पुत्र परसादीलाल हिस्सा 3/5 जाति ब्राह्मण सा. सैनिक नगर गंगापुर सिटी, जितेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश नारायण हिस्सा 1/5 जाति ब्राह्मण सा. अशरपुरा, लल्लूलाल पुत्र घनश्याम पटेल हिस्सा 1/5 जाति ब्राह्मण सा. बस्सी | 96/1 ग्राम भैरूवास | 0.0126 | | |
| | योग किता | 1 | 0.0126 | | |
| 2. | सोसायटी ऑफ केथोलिक डाईसिस ऑफ जयपुर घाटगेट जरिये अध्यक्ष ओसवाल्ड लेविस पुत्र श्री एक्सवीयर लेविस निव. विशप हाउस घाटगेट आगरा रोड़ जयपुर | 96/2 ग्राम भैरूवास<br>1/1 ग्राम टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा | 1.1002<br><br>2.2129 | | |

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | योग | 2 | 3.3131 | | |
| 3. | ओमप्रकाश पुत्र परसादीलाल हिस्सा 187/214 जाति ब्राह्मण सा. सैनिक नगर गंगापुर सिटी, राहिन बदस्तर बलराम पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण सा. सैनिक नगर गंगापुर सिटी, वासुदेव पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 27/214 जाति ब्राह्मण सा. 92जी विश्वविधालय नगर जगतपुरा जयपुर राहिन बदस्तुर | 1/2 ग्राम टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा | 2.7060 | | |
| | योग | 1 | 2.7060 | | |
| 4 | राजस्थान सरकार (गैर मुमकिन रास्ता हेतू ) | 1/3<br>1/4<br>ग्राम टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा | 0.1391<br>0.1517 | | |
| | योग | 2 | 0.2908 | | |

उक्तानुसार तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक अन्तिम डिक्री राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा बटा नम्बर अंकित किये जाकर मुताबिक कुर्रेजात पृथक– पृथक लगान का निर्धारण करें एवम् पक्षकारान बैंक ऋण प्राप्तकर्ता अपना अपना ऋण स्वंय वहन करेगें। तहसीलदार लालसोट को कुर्रेजात की एक प्रति मय नक्शा ट्रेस इस निर्णय के साथ भिजवायी जावे। प्रकरण मे डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 13/5/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)